बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

संदर्भ :– विज्ञापन क्र. 498 / प्रशा. / विज्ञापन / बैकलॉग / 2021
दिनांक 06.03.2021

आवेदन की अंतिम तिथि 15.04.2021

महत्वपूर्ण निर्देश

(विश्वविद्यालय के शिक्षकीय पदों (बैकलॉग) पर सीधी भर्ती)

1. रिक्त पदों की जानकारी सहित शुल्क विवरण / **On-Line** पंजीयन प्रपत्र / आवेदन प्रपत्र आदि समस्त जानकारियॉ विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.bubhopal.ac.in** पर उपलब्ध है। आगामी निर्देश भी समय–समय पर यहीं प्रदर्शित किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी वेबसाइट का नियमित अवलोकन करें।
2. **शुल्क** :– आवेदन शुल्क रू 500 / –(प्रति आवेदन) है, जिसे पंजीयन पत्र के साथ On-Line जमा किया जाना है।
3. **अंतिम तिथि :–** आवेदन पत्र "कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म0प्र) 462026" के पते पर व्यक्तिशः अथवा स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक द्वारा **दिनांक 15.04.2021 कार्यालयीन समय तक प्राप्त किए जाएंगे।** इसके उपरान्त आने वाले आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माने जाएंगे। आवेदन पत्र के लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पदनाम, पंजीयन क्रमांक एवं विषय का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिये। आवेदन पत्र में उपलब्ध प्रेषक का विवरण लिफाफे के उपर अवश्य चिपकाए।
4. **पंजीयन** :–
   - (i) सर्व प्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.bubhopal.ac.in** पर पंजीयन पत्र को **On-Line** भरना तथा **आवेदन** शुल्क रू. 500 / – (पॉच सौ रूपये मात्र) का On-Line भुगतान इसी के साथ करना अनिवार्य है।
   - (ii) शुल्क राशि सफलतापूर्वक जमा होने पर QR CODE एवं आवेदन क्रमांक दिखेगा।
   - (iii) इसके उपरांत पंजीयन पत्र केवल ए–4 साइज के कागज पर प्रिंट करें तथा इस पंजीयन पत्र की प्रति आवेदन पत्र के साथ (सबसे ऊपर) अनिवार्यतः संलग्न करें। इसके अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
   - (iv) एक से अधिक पद के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक पद के लिए पृथक से शुल्क पंजीयन कर आवेदन क्रमांक प्राप्त करना अनिवार्य है।
5. **आवेदन** :–
   - (i) प्रत्येक पद हेतु पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
   - (ii) आवेदन प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.bubhopal.ac.in** से डाउनलोड कर केवल ए–4 साइज के कागज पर स्वतः प्रिंट करें।
   - (iii) आवेदन पत्र में प्रविष्टियॉ हिन्दी अथवा अंग्रेजी में स्पष्ट रूप से काले / नीले बाल पेन से अथवा टंकित भी की जा सकती है।
   - (iv) आवेदन पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिये।
   - (v) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण–पत्र, अनुभव, शोध, प्रकाशन एवं अन्य जानकारी के समर्थन में संबंधित प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित छाया प्रतियॉ (सूची सहित) संलग्न करना अनिवार्य है।
   - (vi) अपूर्ण / अस्पष्ट / अधुरे भरे हुए आवेदन मान्य नही किये जावेंगे।
   - (vii) आवेदन प्रपत्र के मूल स्वरूप में कोई भी परिवर्तन मान्य नही होगा।

निरंतर...02....

6. **आरक्षण की पात्रता :–** म.प्र. के मूल निवासी एवं केवल ''मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया अद्यतन जाति प्रमाण–पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थी ही आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पात्र होगें।'' उपरोक्तानुसार जारी अद्यतन जाति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार दिया जायेगा।

7. **न्यूनतम अहर्ताएं एवं अन्य सेवा शर्तें**

(i) विज्ञापित पदों (प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/असिस्टेंट प्रोफेसर) हेतु न्यूनतम अहर्ताएं, वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तें वि.वि. अनुदान आयोग (U.G.C.) तथा म.प्र. शासन के वि.वि. में तत्समय लागू नियमों के अनुसार होगी।

(ii) प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिये आवेदक को अकादमिक/शोध स्कोर की गणना के विवरणों की पूर्ति करना अनिवार्य है। आवेदक के द्वारा अकादमिक/शोध स्कोर की गणना के विवरणों के लिये प्रारूप दिये गये है। विस्तृत विवरण हेतु इस प्रारूप का प्रयोग अभ्यार्थी द्वारा किया जाये। (परिशिष्ट–II Table-2 UGC Regulation 2018) आवेदक द्वारा गणना किये गये अकादमिक/शोध स्कोर को विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित किये जाने के लिये समस्त प्रलेखों की छायाप्रतियॉ (स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित) अवश्य संलग्न करें।

(iii) यू.जी.सी. रेग्युलेशन 2018 के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु विश्वविद्यालय के लिए विनिर्दिष्ट परिशिष्ट II (तालिका 3A) में यथा विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राप्तांको पर केवल साक्षात्कार के लिए चुनने (Short Listed) हेतु विचार किया जाएगा।

8. **अपात्रता :–** निम्नांकित व्यक्ति आवेदन एवं चयन हेतु पात्र नहीं होंगे:–

(i) न्यायालय द्वारा किसी अपराधिक प्रकरण में दण्डित अभ्यर्थी।

(ii) मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी के अतिरिक्त, किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण–पत्र धारक।

(iii) आवेदन की तिथि पर न्यूनतम योग्यता धारित नहीं करने वाले अभ्यर्थी।

(iv) त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/भ्रामक जानकारी देने वाले तथा/अथवा जानकारी छुपाने वाले अभ्यर्थी।

(v) शासन/वि.वि. के किसी अन्य नियम के अंतर्गत म.प्र. शासन की सेवा हेतु अपात्र अभ्यर्थी।

9. अन्यत्र शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों को पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ अथवा साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा।

10. रिक्त पदों की संख्या में किसी भी समय परिवर्तन करने तथा घोषित रिक्तियॉ निरस्त करने सहित, घोषित रिक्तियों पर चयन करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को है।

11. प्रकाशित विज्ञापन एवं शर्तो में उल्लेखित न्यूनतम अहर्ताओं को धारित करने मात्र से किसी अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रण अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं होता। उपयुक्त अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने तथा चयन हेतु आवश्यकतानुसार मापदंड निर्धारण करना विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार है।

12. भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसके परिमार्जन हेतु उचित कार्यवाई करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।

13. वि. अनुदान आयोग (U.G.C.) के नियम आदि उनकी वेब साईट ugc.ac.in पर देखे जा सकते है।

14. किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

15. न्यायिक विवाद के लिये न्यायिक क्षेत्राधिकार भोपाल शहर का होगा।

कुलसचिव
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल